



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24/12	<p>वादी एवं प्रतिवादी सं 1, 2, 4, 5/1, 5/2, 5/3 के                      घोषित हिल्ला अनुसार तथा सं. नं. <math>\frac{424}{0.46}</math>, <math>\frac{425}{0.25}</math>                      वादी कलना नगर का वादी एवं प्रति सं 1 वं 2                      के मध्य उनके हिल्ला अनुसार वास्तविक व कब्जा                      काइलके अनुसंधान / भूमि के मूलमंडन के सामान्य                      अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु                      तहसीलदार (भूमिधारी) नगर को लिखा गये                      इसी प्रकार प्राचादिठ डि. के गतरे हे। कुंटे-                      रिपोर्ट तबलब की गहर पन्तवली दिनांक                      31-3-14 को पेश हो।</p>	<p>नुरिपोर्ट                      प्राप्त                      24/12</p>
24-14	<p>वज्रलाप फरिदन उपलब्ध. कुंटे रिपोर्ट प्राप्त                      हे सुनी है। नए हेतु सभ्य चार्टे है।                      पन्तवली गतरे वएत प्राइवल डि 24-14                      के पेश हो।</p>	
24-14	<p>वज्रलाप फरिदन उपलब्ध। तहसीलदार नगर                      से उनके पत्रांक 12/14/1922 दिनांक 31-3-14                      के साथ प्राप्त कुंटे रिपोर्ट पर उभयपक्ष के                      विद्वान अर्थीभाषकों को बताने सुनी गई। जैने                      रफेरा नद एवं उनके अर्थीभाषक ने एक प्रांथन                      प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कुंटे रिपोर्ट दिनांक                      31-3-14 में प्राथमिक / प्रति रफेरा नद को सं. नं.  <math>\frac{402/2}{0.37}</math> के साथ शंति डेवी उर्फ सनो को <math>\frac{402/1}{0.15}</math>                      दिया गया है जबकि सुविधानुसार उक्त                      सं. नं. <math>\frac{402/1}{0.15}</math> पर दीपक रवि पुनार पुरारी लाल                      सनो का पुन पुरारी लाल को प्राथमिक के साथ                      तथा शंति डेवी को सं. नं. <math>\frac{786/1}{0.15}</math> पर कुंटे रिपोर्ट</p>	

कर दिया जाये तो सुनिश्चित है कि जिन जिन  
पर एकाधिकार को कायम नहीं है

उक्त प्रथमा पत्र के सम्बन्ध में नोट  
एवं उनके अधिभाषक को भी सुना गया, तो उन्होने  
प्रथमा पत्र में वर्णित अनुदान फाइनल डिजी  
जारी किये जाने में अपनी लक्ष्मण प्रकट की  
है। इस दवावा वादी फाइनल डिजी किये  
जाने है -

ग्राम कस्बा नगर की 470 ख.नं.  $\frac{424}{1}$   
पर वादी रतन लाल पुत्र गणेशी लाल जाति कास्य  
ख.नं.  $\frac{425}{0.25}$ ,  $\frac{424}{0.07}$ ,  $\frac{786}{0.06}$  पर राम लाल पुत्र  
गणेशी ख.नं.  $\frac{402}{0.37}$ ,  $\frac{786}{0.02}$  पर रमेश चंद पुत्र  
गणेशी लाल ख.नं.  $\frac{786}{0.15}$  पर शान्ति देवी उर्फ हंतो  
पांने राम स्वतंत्र तथा ख.नं.  $\frac{402}{0.15}$  पर दीपक, रवि  
पुत्रान सुरारी लाल, मनीषा पुत्री सुरारी लाल को  
बेठि बराबर प्रथम-2 आवेधार-कायम का घोषित  
किया जाता है। त्रिलका नगरी नम्बा निमा-  
प्रकार है :-



इसी प्रकार फाइनल डिजी जारी की जाये।  
(हरिनारायण शर्मा)

निर्णय आज दिनांक 9.4.19 को त्रिलका नगरी  
सुले-पापलप में सुनाया गया। पत्रावली केवल  
गुणाए दोनर दाखिल दफ्तर है।

(हरिनारायण शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
नगरी (सुले-पापलप) माला

डिक्री व मुकदमें इब्तदाईत्र

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

निवासीन अधिकारी : हरिताभ आदित्य आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 61/13

निर्णय दिनांक : 09/04/2014

उनवान


रतनलाल उम्र 62 साल पुत्र स्व. श्री गणेशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा नगर हाल मोरी मौहल्ला डीग तह0 डीग जिला भतरपुर (राजस्थान) — वादी

बनाम

1. रमनलाल उम्र 52 साल | पिस0 स्व0 श्री गणेशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा नगर तह0 नगर
2. रमेशचन्द उम्र 50 साल | — असल प्रतिवादीगण
3. श्रीमान् तहसीलदार तहसील नगर (लैण्ड होल्डर) — आवश्यक पक्षकार
4. शांति देवी उर्फ सत्तो पत्नि रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी हेमा का नगला तह0 व जिला हाथरस (उ0प्र0)
5. सन्तोष उर्फ सन्ता देवी मृतक पुत्री गणेशीलाल ब्राह्मण नि0 रामघाट
- 5/1 दीपक | पुत्रान मुरारी लाल | वारिस काविज जायदाय संतोष उर्फ संता देवी
- 5/2 रवि
- 5/3 मनीषा पुत्री मुरारी लाल | जति ब्राह्मण निवासी ग्राम रामघाट तह0 दिवाई जिला बुलंदशहर (उ0प्र0) — असल प्रतिवादीगण

(दावा वास्ते अन्तर्गत धारा 88-89, 53, व 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू हमारे बहाजरी श्री श्यामबाबू सेठी अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई श्री .संदीप मदान मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी इस प्रकार डिकी किया जाता है कि ग्राम कस्बा नगर की आ0ख0न0 424/1/0.39 पर वादी रतनलाल पुत्र गणेशीलाल जाति ब्राह्मण, ख0न0 425/0.25, 424/2/0.07, 786/2/0.06 पर रमनलाल पुत्र गणेशीलाल, ख0न0 402/2/0.37, 786/3/0.02 पर रमेशचन्द पुत्र गणेशीलाल ख0न0 786/1/0.15 पर शांति देवी उर्फ संतो पत्नि रामस्वरूप तथा ख0न0 402/1/0.15 पर दीपक, रवि पुत्रान मुरारीलाल, मनीषा पुत्री मुरारीलाल को ब0हि0 बराबर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है जिसका नजरी नक्शा निम्न प्रकार है :-



डिक्री बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09/04/2014 को जारी की गयी।

(हरिताभ आदित्य)  
उपखण्ड अधिकारी  
नगर (भरतपुर)

20